

प्ररूप-ख
(नियम 3 (1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुविभाग.....राजस्व विभाग जिला बलरामपुर पोस्ट छत्तीसगढ़

विषय :- वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 963 दिनांक 29/4/2026

संदर्भित आदेश के अनुपालन में, संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक) 6/5/2026 को किया गया।
स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार अरवि कंवारी

(ख) सरपंच/पंच

(ग) पटवारी/कोटवार

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी श्यामराव

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है-

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या सा.व. 03-721

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक 29/4/2026 को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि-

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या

(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या सा.व. 03-721

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या सा.व. 03-721 में कटाई के कारण 03 वृक्ष

(घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो,

(ड.) अन्य विवरण उक्त घूमि राजस्व वनघूमि भूदाया वनाधिकार धू-भाधिकार के तहत की जाने लगी है।

राजस्व अधिकारी का नाम,
पदनाम अधीक्षक
हस्ताक्षर.....
Rampur-R. Gary (C.G.)

वन अधिकारी का नाम,
पदनाम अधीक्षक
हस्ताक्षर अधीक्षक
बलरामपुर

पंचनामा

हम अयोग्यतापूर्वकता पंचनामा सच सच पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 6/5/2026 को कार्य. अनुविभागीय अधि. (रा. 0) शंभुगंज जिला बलरामपुर के भादेश क्र. 963/ वचक/अपवि. भ. 0/2026 दि. 29/4/2026 एवं वन परिसेत्राधिकारी शंभुगंज के भादेश क्र. 763 दि. 4/5/2026 के भादेशानुसार भावेदक अरसद भंडारी भा. 0 मुख्यांक भंडारी निवासी ग्राम चन्दनपुर तह. 0 शंभुगंज खित अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की प्रति र. न. 20/4 रकबा 0.04 हे. भूमि पर खित 03 नग साल (सर्) के प्राकृतिक रूप से ओ वृक्ष खित है जिससे भावेदक को घर बनाने में बाधा उत्पन्न हो रहा है। जिला गाँव सौ. न. 0 च. 0 प्रा. 0 व. नि. 0 के तहत जानकारी निम्न है।

- 1) किली जलधारा, करने भयवा तालाब के किनारे के अंतित किनारे से 20 मी. के अन्दर कोई जलधारा, करने भयवा तालाब नहीं है।
- 2) किसी पवित्र स्थान से 30 मी. की क्षेत्र में किली प्रकार का कोई उपवन नहीं है।
- 3) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके सामान किली भूमि योजना के अन्तर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में उक्त क्षेत्र नहीं है।
- 4) पड़ाव, कब्रिस्तान भयवा शमसन, खल गौठान, खलिहान, बाजार भयवा भावादी हेतु भला किये गये किली क्षेत्र न तो काय जायेगा, न गिराय जायेगा, न उमक तना हीलकर घेरा जायेगा एवं न ही उसे अन्य क्षति पहुँचाया जायेगा उक्त उक्ति (1) में उल्लेखित शर्त उक्त खल में लागू नहीं होगा है।
- 5) भूमि स्वामी द्वारा धारित उक्त भू-खण्ड राज्य वनभूमि भू मा वनाधिकार भू अधिकार के तहत भावेदक को प्राप्त नहीं हुआ है। भूखण्ड पर ओ प्राकृतिक वृक्ष वृक्षों का हन पंचो के समस्त गपजोयष किया गया। यह पंचनामा ग्रामवासियों के समस्त तैयार किया गया पट्टा खुनाया रगपा। तथा उपस्थित पंचो का हस्ता. करामा गया।

उपस्थित पंचो के नाम व पता

पंचो के हस्ता. करामा

- 1) मो. सरीफ सा. 0 मो. खलीफ सा. 0 चन्दनपुर
- 2) विश्वनाथ सिंह सा. 0 विपुन सिंह खैरवा. चन्दनपुर
3. राजकुमार सिंह सा. 0 विगन सिंह खैरवा. चन्दनपुर
4. देवलाल सा. 0 नैमा सिंह खैरवा. सा. 0 चन्दनपुर
- 5 - सजय पाल सा. 0 समगहन पाल सा. 0 देवीगंज

मो. शरीफ
विपुन सिंह
देवलाल सिंह
सजय पाल

M. K. Das
परि. नि. 0

R.I.C. Ramnagar
Tah. Ramnagar
Distt. Balrampur - R. Garj (C. G.)

परिसेत्र सहायक
चन्दनपुर